न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)

क्रमांक/राजस्व/20/ 148 दिनांकः– 13.2.2020

अहवाल बनाम तहसीलदार तिजारा

अन्तर्गत अपील बउनवान प्रदीप
बनाम
ग्राम पंचायत मुण्डाना

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त उनवानी अपील में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2020 को निर्णय पारित किया गया है जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है। निर्णय में अंकित निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न–निर्णय की सत्यप्रति।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
05 / 2019	31–05–2019	[illegible]

उनवान

01 प्रदीप पुत्र श्री राजसिंह

02 सुभाष

03 राजेन्द्र पुत्रान श्री महावीर जाति अहीर निवासीगण ग्राम कलवाडी तहसील तावडू जिला नूंह (हरियाणा)

——:: अपीलान्ट

बनाम

01 ग्राम पंचायत मुण्डाना तहसील तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) जर्ये सरपंच

02 रमजान

03 ईमरत पुत्रान हासब कौम मेव निवासीगण माजरा पीपली तहसील तिजारा जिला अलवर

04 कपूरा पुत्र रहमान कौम मेव निवासी माजरा पीपली तहसील तिजारा जिला अलवर

————:: रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्व इतकाल संख्या 868 दर्ज दिनांक 31.12.2010 व स्वीकार दिनांक 07.01.2011 वाके ग्राम माजरा पीपली ग्राम पंचायत मुण्डाना तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

–:: निर्णय ::–

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि इंतकाल संख्या 868 वाके ग्राम माजरा पीपली तहसील तिजारा ग्राम पंचायत मुण्डाना के निर्णय के विरूद्व पेश की जा रही है। आराजी खसरा नम्बर 160 रकबा 11 बिस्वा, 336 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम माजरा पीपली तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। जो जमाबन्दी संवत् 2056 लगायत 2060 में खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड था। जिसकी जमाबन्दी संलग्न अपील हाजा है। आराजी खसरा नम्बर 160 रकबा 11 बिस्वा, 336 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, जो जमाबन्दी संवत् 2064 लगायत 2067 के खाता सं0 156 में है। उक्त खाता संख्या 156 में आराजी खसरा नम्बर 160 रकबा 11 बिस्वा, 336 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में हिस्सा दर्ज हिस्सेदार है। उक्त हिस्से के अनुसार रमजान, ईमरत व कपूरा ने जरिये विनिमय विलेख कमांक 2450 दिनांक 03.12.2010 को कपूरा पुत्र रहमान कौम मेव निवासी माजरा पीपली ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 540 रकबा 0.23 है0 का 1/2 हिस्सा यानि 11.50 ऐयर भूमि व रहमान, ईमरत पुत्रान हासब कौम मेव निवासीगण माजरा पीपली ने आराजी खसरा नम्बर 331 रकबा 0.06 है0, 341 रकबा 0.24 है0, 336 रकबा 0.58 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.88 है0 का 3/16 भाग यानि 11.42 ऐयर भूमि का विनिमय किया। उक्त विनिमय विलेख हल्का पटवारी के पास वास्ते इंतकाल दर्ज करने के लिए दिया गया। हल्का पटवारी द्वारा इंतकाल संख्या 868 के द्वारा दिनांक 31.12.2010 को दर्ज कर

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

हेतु कानूनगो के पास प्रेषित किया। श्रीमान कानूनगों द्वारा मिलान किया गया। विनिमय पत्र मे खसरा नम्बर 341 व 336 पर जमाबन्दी अनुसार दर नहीं लगाई गई, शेष अंकन सही है, का नोट अंकित किया। हल्का पटवारी द्वारा दर लगाते वक्त जमाबन्दी एवं नियमानुसार दर नहीं लगाते हुए केवल आराजी खसरा नम्बर 336 पर दर्ज 0.45 है0 अंकित कर दी। जो गलत है क्योंकि दर 0.45 है0 खाता संख्या 156 के खसरा नम्बर 160 व 336 के कुल रकबा 0.72 है0 के अनुसार थी। हल्का पटवारी द्वारा जमाबन्दी को नजर अन्दाज करते हुये केवल आराजी खसरा नम्बर 336 पर 0.45 है0 दर्ज कर दी, जिसे दिनांक 07.01.2011 को सरपंच ग्राम पंचायत मुण्डाना द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जो नितान्त गलत है। उक्त विनिमय के आधार पर गलत इंतकाल संख्या 868 का अंकन जमाबन्दी संख्या 2064 लगायत 2067 मे कर दिया। जिसकी पुर्नावर्ती हाल जमाबन्दी तक बदस्तूर चली आ रही है। मिन अपीलान्टस् के द्वारा खरीद की गई आराजी जिनका इंतकाल संख्या 774, 776, 777 के द्वारा दर्ज व स्वीकार हुआ तथा विनिमय के पूर्व का है। जिसका अंकन जमाबन्दी संवत् 2064 लगायत 2067 हो गया। गलत इंतकाल सं0 868 के जमाबन्दी पर अंकन के कारण मिन अपीलान्टस् के हिस्सेदारी गलत जमाबन्दी हो गई, जिसकी पुर्नावर्ती बदस्तूर चली आ रही है। जबकि इंतकाल पर कानूनगों महोदय के नोट का जवाब या शुद्व किये बिना गलत रूप से इंतकाल संवत 868 दिनांक 07.01.2011 को स्वीकार किया है। जो इंतकाल विधि विरूद्व दर्ज व स्वीकार किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। रेस्पोडेन्ट बावजूद तामील अनुपस्थित है रेस्पोडेन्ट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात अपीलान्ट की बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने अपील को तहसीलदार तिजारा को रिमाण्ड कर पुनः इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया गया।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 868 दिनांक 07.01.2011 वाके ग्राम माजरा पीपली ग्राम पंचायत मुण्डाना को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार तिजारा को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में विस्तृत जांच की जाकर पुनः इंतकाल की कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)